लद्दाखियों का दोष क्या है ?

"नई दुनिया" 9 नवंबर, 1983

शशिधर खाँ

लद्दाख के सर्वमान्य बौद्ध नेता कुशक बाकुला ने, जो लद्दाख संघर्ष समिति के अध्यक्ष है, पुन: जम्मू और काश्मीर के मुख्यमंत्री डॉ. फारूख अब्दुल्ला के नाम एक पत्र लिखकर अपनी धमकी को दुहराया है कि अगर इस वर्ष के अत तक लद्दाखवासियो को जम्मू के संवैधानिक ढांचे के अतर्गत अनुसूचित जनजाति का दर्जा नही दिया गया तो उनकी समिति हिसात्मक आदोलन पर उतारू हो जाएगी। लद्दाख के सासद पी. एन. नामग्याल ने भी इनकी मांग का खुला समर्थन किया है।

लद्दाख और इसके सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले नागरिकों की यह माँग बहुत पुरानी है कि इन्हे अनुसूचित जनजाति का दर्जा देकर सभी संवैधानिक सुविधाएँ मिलनी चाहिए और इसके लिए पिछले पाँच साल से लद्दाखियो ने लोकप्रिय नेता कुशक बाकुला के नेतृत्व मे आदोलन चला रखा है।

हम अगर गभीरता पूर्वक लद्दाख और अपने तमाम सीमावर्ती इलाकों के निवासियों के बारे मे विचार करें तो हैरत मे पड जाएँगे। जम्मू और काश्मीर की सीमा पर १९४७ से ही ढेर सारे लोग खानाबदोशी जीवन बिता रहे हैं। क्या अभी तक हमारी सरकार इस स्थिति मे नहीं आ पाई है कि या तो इन्हें अपने देश की नागरिकता प्रदान करे या उन देशो मे वापस भेज दे, जहाँ से आकर ये बस गए है? यह कितना बड़ा अन्याय है कि आजादी के ३५ वर्ष बाद भी इनकी स्थिति महज शरणार्थियों जैसी है। हजारो की तादाद मे इन लोगो ने राज्य और केंद्र सरकार मे अपने लिए एक नागरिक की सभी सुविधाएँ दिलाए जाने की अपीलें की हैं, जुलूस निकाले है। लेकिन आश्वासन के अलावा अभी तक केंद्र सरकार कुछ न दे पाई है।

लद्दाख निवासियो का दोष सिर्फ इतना है कि इन लोगों ने अपनी संवैधानिक माँगो के लिए आवाज उठाई। मांग मनवाने के लिए हर सभव तरीको का सहारा लेने का इरादा है।

तीन साल से कुशक बाकुला केंद्र सरकार का आश्वासन पीते आ रहे थे। जम्मू और काश्मीर की सरकार तो सारी जिम्मेदारी केंद्र पर छोड़कर निश्चित थी। पिछले वर्ष इनके धैर्य ने जवाब दे दिया और अपने अनुयायियों के साथ इन्होंने हिसात्मक रवैया अपनाया। लेह, कारगिल की समूची जनसख्या सड़कों पर उतर आई। स्थिति इतनी भयकर हो गई कि प्रधानमत्री को साफ शब्दों में लद्दाखवासियों की सारी मांगें मान लेने की घोषणा करके लद्दाख सघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं से हिसात्मक तरीका छोड़ने का आग्रह करना पड़ा।

प्रधानमत्री का आग्रह था, बस इसलिए बात मान ली गई। पुन: एक साल तक प्रधानमंत्री के रुख का इंतजार भी किया गया। रहा होगा किसी जमाने मे संसद में किसी सवाल के उठाए जाने का महत्व, अब नही रह गया है। अगर ऐसा होता तो लद्दाखियों का ही नहीं, शरणार्थियो का भी कल्याण हो गया होता, जिन मामलों पर कई बार बहसें हो चुकी है। प्रधानमंत्री का उपेक्षापूर्ण रवैया फारूख अब्दुल्ला के लिए अच्छा ही था। इन्होंने अपनी पुरानी बात को कई-कई बार दुहराया और लद्दाख के किसी प्रतिनिधि मंडल से मिलने से भी इकार कर दिया।

इस वर्ष जुलाई के दूसरे सप्ताह में लद्दाख संघर्ष समिति के धैर्य की सीमा टूट गई और हजारों हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन एक ही साथ जम्मू के मुख्यमंत्री डॉ. फारूख अब्दुल्ला और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी के नाम भेजे गए। इसमें स्पष्ट रूप से हिसात्मक आंदोलन छेड़ने की धमकी दी गई थी।

पहले तो डॉ. अब्दुल्ला ने अपने को ऐसा बना लिया मानो उन्हें लद्दाखियों की किसी गतिविधि की जानकारी ही न हो, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने स्वय लोकसभा में लद्दाखियों की सारी मांगें मानते हुए इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की घोषणा की, तब तो चुप होकर बैठना संभव नहीं था। आखिर केंद्र पर इन्हें प्रत्यक्ष रूप में अपनी जिद लादनी पड़ गई। १९ जुलाई को जम्मू विधानसभा में फारूख अब्दुल्ला ने इस संबंध में अपना जो वक्तव्य दिया, उसका सारांश यह है कि लद्दाख में रहने वालों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा किसी भी हालत में नहीं दिया जा सकता। केंद्र की इच्छानुसार लेह, कारगिल, जास्कार, नोजिला सभी जिलों को अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए और जम्मू की स्थिति अभी इतने सारे लोगों को संवैधानिक सुविधाएँ देने जैसी नहीं हैं। १९ मई को भी केंद्रीय गृहमत्री ने लोकसभा में लद्दाख से संबंधित मामला उठाया था। फारूख अब्दुल्ला ने इसका जिक्र करते हुए केंद्र सरकार पर समस्याएँ थोपने का आरोप लगाया।

लेकिन कुशक बाकुला निराश नही हुए, क्योंकि इन्हें प्रधानमत्री पर पूरा भरोसा था। वे स्वय को तो किसी प्रकार आश्वस्त करते रहे, लेकिन अपने जाँबाज कार्यकर्ताओं को समझाना इस वर्ष सितबर के बाद संभव नहीं हो सका। २० अक्टूबर को इन्हें लद्दाख संघर्ष समिति की बैठक बुलानी पड़ गई। खुले मैदान मे पूरे तीन घंटे तक अगले अभियान के विभिन्न मसलो पर विचार-विमर्श हुआ और अंत में तय हुआ कि अब तब तक हिसात्मक आंदोलन जारी रखा जाए, जब तक कि हमे अपनी संवैधानिक सुविधाएँ प्राप्त नहीं हो जाती।

लद्दाख के सांसद पी. एन. नामग्याल ने पिछले चार साल में आंदोलन से हुई क्षति की चर्चा करते हुए कहा कि अब तक पुलिस और सुरक्षा सैनिकों के साथ हुए संघर्षों में ५०० लद्दाखियों के घायल होने, १६ लद्दाखियों के मरने तथा २ करोड़ की संपत्ति के नष्ट होने की जानकारी तो सिर्फ मुझे मिली है। जो जानकारी नहीं है, उसकी बात छोड़ दें।

कुशक बाकुला को सांसद नामग्याल के अतिरिक्त कई कांग्रेस(इ) सांसदों का भी समर्थन प्राप्त है। इन सबों का आरोप है कि फारूख अब्दुल्ला जानबूझ कर लद्दाखवासियों को परेशान करने पर तुले बैठे हैं। इसमें सच्चाई भी है। फारूख अब्दुल्ला के वर्तमान रुख से केंद्रीय सरकार आजकल काफी विचलित हो उठी है। पिछले सप्ताह प्रधानमत्री ने भी जम्मू के कांग्रेस (इ) कार्यकर्ताओं से बातचीत करते समय डॉ. अब्दुल्ला के रुख पर चिंता व्यक्त की है।

जो फारूख अब्दुल्ला अब सीधे केंद्र सरकार से टक्कर लेने और अपनी स्वतंत्र छवि (भारत से अलग हटकर) बनाने की फिक्र में लगे हैं, वे इस बार भी लद्दाखवासियों की माँग पर विचार करेंगे। इस पर अभी तक संदेह की गुंजाइश है। मगर कुशल बाकुला ने काफी सोच-विचार करने के बाद धमकी को दुहराया है। मरने-मारने पर उतारू संघर्ष समिति के वर्तमान अभियान को इतनी आसानी से टालना शायद ही संभव हो पाए।